

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर कानपुर देहात

फौजदारी वाद सं० 836/2020

UPRN180013652020



सरकार

बनाम

पंकज कोरी

धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

मु०अ०सं० 913/2019

थाना घाटमपुर, कानपुर नगर

आरोप

मैं धर्मेन्द्र सिंह यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात आप पंकज कोरी पुत्र रामखिलावन को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूँ।

प्रथम- यह कि दिनांक 29/10/2019 को समय 22.05 बजे बहद स्थान नहर पुलिया ग्राम भदरस थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत थाना हाजा की पुलिस द्वारा आपके पास से एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया, जिसको रखने का आपके पास वैध लाइसेन्स नहीं था। इस प्रकार आपने धारा **3/25 आर्म्स एक्ट** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए।

दिनांक – 20/08/2025

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

घाटमपुर, कानपुर देहात

यू०पी० 3562

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिसे स्वीकार न करते हुए अभियुक्त ने विचारण की मांग की।

दिनांक – 20/08/2025

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

घाटमपुर, कानपुर देहात

यू०पी० 3562